UPSD100013712026

Bail Application/344/2026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, बांसी, सिद्धार्थनगर।

सरकार ....बनाम ..... राजू।

दण्द वाद सं0– 5930/2025
मु0अ0स0 – 68/2025
धारा–60(1) आबकारी अधिनियम।
थाना–शिवनगर डिड़ई, जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक– 27.08.2026

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। अभियुक्त **राजू** की ओर से दण्द वाद सं0–5930/2025,**धारा–60(1) आबकारी अधिनियम**, थाना–शिवनगर डिड़ई, जनपद– सिद्धार्थनगर के प्रकरण में अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वे निर्दोष है। कोई अपराध नहीं कारित किया है। महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी फसाया गया है। वे अपने जमानत हेतु बंधपत्र व मुचलका देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त **राजू** की ओर से दण्द वाद सं0–5930/2025,**धारा–60(1) आबकारी अधिनियम**, थाना–शिवनगर डिड़ई, जनपद– सिद्धार्थनगर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अभियोग सात साल से कम अवधि तक की सजा से दण्डनीय है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नं0–6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के मामले में निर्देशो के अनुपालन में सात वर्ष तक की सजा वाले मामले में जमानत आदेश पारित करते समय दो जमानत के स्थान पर एक जमानत का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुपालन में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **राजू** की ओर से दण्द वाद सं0–5930/2025,**धारा–60(1) आबकारी अधिनियम**, थाना–शिवनगर डिड़ई, जनपद– सिद्धार्थनगर के प्रकरण में मु0–20,000/–(बीस हजार रूपये)का स्वबन्ध एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

सिविल जज (जू0 डि0)/जे0एम0,
बांसी, सिद्धार्थनगर।

Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR BHARTI
Date: 2026.08.27 16:11:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court